कृषि विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

संचिका सं0:– उ0को0/भा0स0प0 (जैव उर्व0)–01/10– 316 दिनांक:– 13/04/2017

कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 9–16/2006–Organic Farming (Vol-I) दिनांक 08.04.2010 के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 में निहित कार्बनिक खाद के अतिरिक्त वर्षों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किए जा रहे अन्य पारंपरिक कार्बनिक खाद यथा ग्रामीण/शहरी कम्पोस्ट गोबर की खाद, नीम की खल्ली आदि को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार को दिशा–निर्देश तैयार करने की सलाह दी गई है। उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त कई प्रकार के उत्पाद मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के नाम पर बेचे जा रहे हैं जिसे मुख्यतया दो भागों में विभाज़ित किया जा सकता है–

(i) पारंपरिक उत्पाद जैसे नीम की खल्ली, गोबर, अपशिष्ट इत्यादि

(ii) गुण वर्धित जैव/कार्बनिक उत्पाद या emerging bio-products, bio-based adhesive, bio-chemicals, bio plastics, zymes seaweeds etc.

इस संबंध में विभाग के स्तर से अधिसूचना सं0– उ०को०/भा०स०प०(जै०उर्व०)–01/11–494 (उ0को0) दिनांक–05.05.2011 निर्गत किया गया है। कृषि निदेशक, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिनांक 05.10.2016 को आहूत बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उक्त अधिसूचना को संशोधित किया जा रहा है।

ऐसे कार्बनिक तथा अन्य उत्पादों, जिनका उपयोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढाने के लिए किया जाता है परन्तु उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत नियंत्रित नहीं है, की बिक्री की अनुमति प्राप्त करने हेतु ईच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान को निम्न कागजात एवं शुल्क के साथ विहित प्रपत्र में कृषि निदेशक, बिहार को आवेदन समर्पित करना होगा–

(क) प्रतिष्ठान अपने उत्पाद का प्रमाण पत्र NIPHM या समकक्ष भारत सरकार में अधिसूचित जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी से सर्वप्रथम प्राप्त करें।

(ख) उत्पाद में मौजूद पदार्थ उसका प्रतिशत तथा विश्लेषण विधि समर्पित करें।

(ग) उत्पाद का field trial राज्य के विश्वविधालय द्वारा किया जाय, जिसमें शष्य, मृदा, Plant Physiology, Pathology आदि के वैज्ञानिकों के द्वारा किया

जाएगा। विश्वविधालय के रिसर्च कॉन्सिल द्वारा अनुशंसा की जायेगी जिसमें उद्धृत रहना आवश्यक होगा कि उक्त पदार्थ का मनुष्य/पशु तथा वातावरण पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) विश्वविधालय पदार्थ में मौजूद Heavy metals तथा मृदा/फसल पर इसके प्रभाव का भी अध्ययन विशेष रूप से करेगी।

(ड.) प्रथम दो साल विश्वविधालय प्रत्येक Climatic Zone में इसकी उपयुक्तता की जॉच तथा तीसरे वर्ष में व्यापक रुप से किसानों के खेत में इसके प्रभाव की जॉच करने के उपरांत अनुशंसित करेगी।

(च) प्रतिष्ठान अपने उत्पाद के पैकेटों के ऊपर पाये जाने वाला पदार्थ, प्रतिशत तथा प्रयोग की विधि लिखेंगे।

(छ) प्रतिष्ठान अपने उत्पाद में प्रयुक्त पदार्थों का विश्लेषण विधि विश्वविधालय तथा गुण नियंत्रण प्रयोगशाला मीठापुर, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

(ज) प्रतिष्ठान अपने उत्पाद के Raw material का स्त्रोत सूचित करेंगे।

(झ) प्रतिष्ठान द्वारा अपने उत्पादन स्थल में प्रयोगशाला की स्थापना करेगी जिससे कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद का निर्माण सुनिश्चित हो।

(ट) चूँकि ऐसे पदार्थ FCO-1985 की परिधि से बाहर हैं। अतः प्रतिष्ठान अपना विनिर्माण तथा विपणन प्रमाण पत्र राज्य स्तर पर प्राप्त कर अपने विक्रेताओं के माध्यम से बेच सकती हैं।

(ठ) अनुदेशों के उल्लंघन करने पर परिस्थिति के अनुसार FCO-1985/Insecticide Act, 1968 या CrPC की तहत् कार्रवाई की जाएगी।

(ड) पैकेट के उपर भ्रामक शब्दों का उपयोग कदापि न हो।

(ढ) 2250/–रु० का शुल्क "मुख्य शीर्ष 0401–कृषि कार्य लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य उपशीर्ष 0001–अन्य प्राप्तियाँ–विपत्र कोड–R-0401008000001" मद में ट्रेजरी चलान के माध्यम से बैंक में जमा कर उसकी प्रति।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12/04/17

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 316 दिनांक : 13/04/2017

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12/04/17

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 316 दिनांक : 13/04/2017

प्रतिलिपिः— उप आयुक्त (आई०एन०एम० डिवीजन), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

12/04/17

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 316 दिनांक : 13/04/2017

प्रतिलिपिः— संयुक्त कृषि निदेशक उपादान/संयुक्त कृषि निदेशक, मुख्यालय/कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/04/17

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 316 दिनांक : 13/04/2017

प्रतिलिपिः— सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/04/17

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 316 दिनांक : 13/04/2017

प्रतिलिपिः— सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी/सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/04/17

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 316 दिनांक : 13/04/2017

प्रतिलिपिः— सभी उर्वरक उत्पादक/आयातक/आपूर्त्तिकर्त्ता प्रतिष्ठानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/04/17

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 316 दिनांक : 13/04/2017

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

12/04/17

सरकार के अवर सचिव